दिनांक 23.01.2019 को जिलाधिकारी शामली की अध्यक्षता में मै0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0लि0 (डिस्टिलरी डिवीजन), ग्राम–ऊन, तहसील–ऊन, जिला–शामली द्वारा 60 किली0/दिन क्षमता की मोलासेस बेस्ड आसवनी इकाई एवं 2.5 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु आयोजित लोक सुनवाई के कार्यवृत्त।

दिनांक 23.01.2019 को जिलाधिकारी, शामली की अध्यक्षता में, मै0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0लि0, ग्राम–ऊन, तहसील–ऊन, जिला–शामली की मौजूदा शुगर इकाई में 60 किली0/दिन क्षमता की मोलासेस बेस्ड आसवनी इकाई एवं 2.5 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गई। कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

लोक सुनवाई में निम्नलिखित अधिकारी/जनसमूह उपस्थित हुए :–

1– श्री अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी, शामली

2– श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

3– डा0 डी0सी0 पाण्डेय, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

4– श्री विपुल कुमार, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

5– श्री आर0एस0 राना, पर्यावरणीय सलाहकार एवं तकनीकी विशेषज्ञ, चण्डीगढ प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला – ई.आई.ए. डिवीजन, मोहाली, पंजाब

6– श्री अजय मजीठिया, वाइस प्रेसीडेंट, मै0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0लि0

7– श्री जी0एस0 खेडा, यूनिट हैड, मै0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0लि0

8– लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमूह की उपस्थित संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत आच्छादित है, अतः इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व नियमानुसार लोक सुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त अधिसूचना के अनुसार स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लोक

सुनवाई हेतु दिनांक 22.12.2018 को समाचार पत्र अमर उजाला एवं इण्डियन एक्सप्रेस में प्रस्तावित उद्योग मै0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0लि0, ग्राम–ऊन, तहसील–ऊन, जिला–शामली के प्रस्तावित स्थल पर दिनांक 23.01.2019 की अपरान्ह 3:00 बजे लिखित रूप में अथवा स्वयं उपस्थित होकर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। समाचार पत्रों के कटिंग की छायाप्रतियां संलग्न हैं। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई दिनांक 23.01.2018 से पूर्व कोई लिखित आपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर में प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना का विस्तृत विवरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी जानकारी देने हेतु परियोजना प्रस्तावकों से कहा गया। परियोजना के पर्यावरणीय परामर्शी चण्डीगढ प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला – ई.आई.ए. डिवीजन, मोहाली, पंजाब के श्री आर0एस0 राना द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मै0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0लि0 (डिस्टिलरी डिवीजन), ग्राम–ऊन, तहसील–ऊन, जिला–शामली द्वारा 60 किली0/दिन क्षमता की मोलासेस बेस्ड आसवनी इकाई एवं 2.5 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाई में मोलासिस आधारित 60 किली0/दिन क्षमता की आसवनी इकाई एवं 2.5 मेगावाट को–जनरेशन का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा 60 कि.ली./दिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./एब्सोल्यूट एल्कोहल एवं 2.5 मेगावाट को–जनरेशन की इकाई की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व से स्थापित शुगर इकाई परिसर में इकाई की स्वयं की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के जल प्रदूषण नियन्त्रण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

जल प्रदूषण :

उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिदिन अधिकतम 480 किली0 जल की आवश्यकता होगी। उद्योग में मोलासेस बेस्ड आपरेशन के दौरान जनित स्पेन्ट वॉश को सीधे मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में सांद्रणीकरण करते हुए बायोकम्पोस्टिंग प्रक्रिया में

प्रयोग किया जायेगा। इस प्रक्रिया से शत्–प्रतिशत स्पेन्ट वॉश से जनित जल प्रदूषण को शून्य कर दिया जायेगा।

वायु प्रदूषण :

उद्योग में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में 25 टीपीएच क्षमता के ब्वॉयलर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। 25 टी.पी.एच. के ब्वॉयलर से सम्बद्ध नवीन टेक्नॉलोजी पर आधारित ई0एस0पी0 तथा भूतल से 40 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जायेगी, जो समग्र पार्टिकुलेट उत्सर्जन तथा गैसीय उत्सर्जन में समस्त प्रदूषणकारी तत्वों को मानकों के अनुरूप शुद्धिकरण कर सकेगा। इस प्रक्रिया से स्रोत उत्सर्जन ही नहीं, बल्कि परिवेशीय वायुगुणता को मानकों के अनुरूप रखने में सहायता प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त विद्युत की वैकल्पिक आपूर्ति हेतु 02 डी0जी0 सैट क्रमशः 1000 केवी एवं 500 केवीए की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

ध्वनि प्रदूषण :

ध्वनि प्रदूषण हेतु उद्योग द्वारा विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं जिससे परिवेशीय वायुगुणता में ध्वनि मानकों के सापेक्ष पूर्ति कराई जा सके।

ग्रीन बेल्ट का प्राविधान :

उद्योग द्वारा नियमानुसार ग्रीन बेल्ट का प्राविधान प्रस्तावित है।

तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों को लोक सुनवाई किये जाने के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया गया एवं उक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया।

उपस्थित जनसमूह में से निम्न प्रश्न उठाये गये, जिनका उत्तर दिया गया, जो निम्नवत् है :–

1. **श्री उग्रसैन चौहान, पूर्व प्रधान ग्राम शामली–शामला द्वारा प्रश्न उठाया गया कि इस उद्योग की स्थापना से क्षेत्रीय लोगों को नौकरी अथवा रोजगार में क्या लाभ होगा?**

उत्तर : उद्योग के वाइस प्रेसीडेंट श्री अजय मजीठिया द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से लगभग 250–300 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा, जिससें से लगभग 125 तकनीकी स्टाफ होगा। क्षेत्रीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **श्री कपिल खाटियान, ग्राम पिण्डौरा ने प्रश्न किया कि डिस्टिलरी से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम की क्या व्यवस्था होगी?**

उत्तर : श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित इकाई में 25 टीपीएच क्षमता का ब्वायलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च तकनीकी व्यवस्था के रूप में ई0एस0पी0 तथा भूतल से 40 मीटर ऊंची चिमनी का प्राविधान है, जिससे वायु प्रदूषण मानकों के अनुरूप ही रहेगा। प्रस्तावित उद्योग में ईंधन के रूप में बैगास का प्रयोग किया जायेगा, कोयले का नहीं। ब्वायलर से जनित राख के निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा तथा उस पर वाटर स्प्रिंकलिंग की भी व्यवस्था की जायेगी, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या नहीं रहेगी।यह भी अवगत कराया कि सी.एस.आर. के अन्तर्गत आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा कैम्प आदि भी लगाये जायेंगे।

3. **श्री हरचन्द सिंह ने प्रश्न किया गया कि उद्योग से निकलने वाले ठोस कचरे एवं जल प्रदूषण का क्या उपाय किया जायेगा?**

उत्तर : क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि डिस्टिलरी से भूरे रंग का पानी निकलता है, जिसको नवीन तकनीकी एम0ई0ई0 से सांद्रणीकरण करते हुए बायोकम्पोस्ट प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जायेगा। उद्योग से किसी भी प्रकार उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होगा। यह उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर आधारित है। उद्योग की स्थापना के पश्चात् प्रदूषण पर सतत् निगरानी हेतु

बायोकम्पोस्ट एरिया एवं अन्य उत्प्रवाह निस्तारण प्रक्रियाओं पर वैब कैमरे स्थापित किये जायेंगे, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक रहेंगे। उद्योग द्वारा प्रदूषण पर सतत् निगरानी बनाये रखने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन सैल का गठन किया जायेगा।

4. **श्री कुसुमपाल निवासी हथछोया द्वारा प्रश्न किया गया कि आसपास के ग्रामों को क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?**

उत्तर–उद्योग के वाइस प्रेसीडेंट श्री अजय मजीठिया ने बताया कि सी.एस.आर. के अन्तर्गत कुल 70 लाख खर्च किये जायेगे, जो आसपास के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा कैम्प, सोलर प्लांट, आर0ओ0 प्लांट आदि जिला प्रशासन की अनुमति से योजनाओं में खर्च किये जायेंगे।

श्री उग्रसैन चौहान, पूर्व प्रधान ग्राम शामली–शामला द्वारा पुनः अपनी बात रखते हुए कहा कि उक्त उद्योग की स्थापना से आसपास के ग्रामों एवं किसानों का विकास होगा, गन्ने के भुगतान में सुविधा होगी। अगर उद्योग तरक्की करेगा तो निश्चित ही क्षेत्र के किसानों एवं आम जन का विकास होगा। उद्योग द्वारा सी.एस. आर. के अन्तर्गत सामाजिक कार्यो में भी योगदान दिया जायेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय का जनसामान्य की ओर से आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह से पूछा गया कि क्या उपस्थित सभी लोगों को लोक सुनवाई की सूचना मिली है या नहीं। इस सम्बन्ध में उपस्थित जनसमूह द्वारा हाँ में जवाब दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि चीनी मिल के साथ डिस्टिलरी इकाई एवं पावर प्लांट की स्थापना से निश्चित की क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, कृषकों को गन्ने का भुगतान समय से हो पायेगा। क्षेत्र के लोगों को रोगजार भी उपलब्ध होगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को परियोजना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देना है तो वह लिखित रूप में अपनी आपत्ति अभी भी प्रस्तुत कर सकता है।

उपस्थित जनसमूह द्वारा प्रस्तावित डिस्टिलरी इकाई की स्थापना हेतु ध्वनिमत से सहमति दर्शाई गई।

अन्त में सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी।

संलग्नक–लोक सुनवाई की सी0डी0 एवं उपस्थिति।

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर।

23.1.19
(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी
शामली